

न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
किस्तूर चन्द बनाम कैलाश चन्द

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र स्थगन मुकदमा नं0 28/2017

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

10.03.2021

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल प्रकरण निगरानी को आगे नहीं चलाये जाने का निवेदन किया गया। मूल निगरानी प्रकरण Not press में खारिज कर दिया गया है। इसलिए विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थगन को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति संलग्न मूल पत्रावली की जावें। निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



जिला कलक्टर
दौसा